

यू० ओ० नोट

प्राधिकरण में पदस्थापित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बायोमैट्रिक प्रणाली पर उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु जयपुर विकास आयुक्त के आदेश दिनांक 31.01.25 एवं इससे पूर्व भी समय समय पर इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं। इस संबंध में ज्ञात हुआ है कि कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है।

अतः इस संबंध में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ स्टाफ को कार्यालय समय पर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराये जाने हेतु पाबन्द करेंगे। अभियांत्रिकी/प्रवर्तन सम्बन्धी अधिकारी/कर्मचारी संचालित कार्यों के साईट विजिट/प्रवर्तन कार्यवाही पर जाने से पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे। अन्यथा प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-4/निरीक्षण) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 05.12.2006 एवं 11.03.2015 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(निशान्त जैन)
सचिव

वन सरंक्षक,
निदेशक विधि/वित्त/आयोजना/अभियांत्रिकी-प्रथम, द्वितीय,
समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण,
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन,
संयुक्त आयुक्त संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट,
समस्त उपायुक्तगण,
सिस्टम एनालिस्ट,
उप रजिस्ट्रार सहकारिता,
यू० ओ० नोट क्रमांक: प-14(9)जविप्रा/संस्था/2025
दिनांक

Document certified by NISHANT JAIN
<NISHANT.JAIN111@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Nishant
Jain

Designation : Secretary

Date :06-03-2025 06:29:03